उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू–वापसी अपील वाद संख्या–33/2018

प्रवीण जैन वगै० बनाम् दिनेश बेदिया वगै० एवं राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
13.06.2023	इस वाद की कार्यवाही अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के पत्रांक–2101/रा०, दिनांक–08.12.2018 द्वारा भू–वापसी अपील वाद सं०–02/2016 प्रवीण जैन वगै० बनाम् दिनेश बेदिया वगै० एवं राज्य का मूल अभिलेख के साथ संलग्न आयुक्त का न्यायालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग में दायर भू–वापसी रिविजन वाद सं०–59/2016 प्रवीण जैन वगै० बनाम् दिनेश बेदिया वगै० एवं राज्य में दिनांक–27.09.2018 को पारित आदेश के आलोक में प्रारंभ की गई। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ में दायर) भू–वापसी वाद सं०–46/2015–16 दिनेश बेदिया वगै० बनाम् प्रवीण जैन वगै० की माँग की गई है। साथ ही साथ अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग से भू–वापसी अपील वाद सं०–05/2002 सोरेन बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन के मूल अभिलेख की भी माँग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा–मरार, थाना–रामगढ़ थाना नं०–144 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–36 प्लॉट न०–1009 कुल रकवा–1.49 ए० भूमि से संबंधित है। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युतर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा–मरार, थाना–रामगढ़ थाना नं०–144 जिला–रामगढ़ के खाता सं०–36 प्लॉट न०–1009 कुल रकवा–1.49 ए० भूमि खतियान में शिवदयाल बेदिया वो० दुखन बेदिया पे०–गणेश बेदिया वो० खुटरा बेदिया कौम बेदिया के नाम रैयती दर्ज है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर केवाला के आधार पर दावा करते है उनका कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा वर्ष–1954 में पुरन रजवार को हुकुमनामा के द्वारा भूमि हस्तांतरित कर दिये। पुरन रजवार ने उक्त भूमि को दिनांक–16.08.1973 को अरूण कुमार सिंह को निबंधित केवाला के द्वारा बिक्री कर दिये। अरूण कुमार सिंह ने उक्त भूमि को दिनांक–10.08.1977 को रवि जैन को निबंधित केवाला द्वारा बिक्री कर दिये। रवि जैन ने उक्त भूमि को	

दिनांक–11.08.2004 को निबंधित केवाला द्वारा रमेश जैन को बिक्री कर दिये। तब से अब तक अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर कबिज है। अपीलार्थी का कहना है कि आदिवासी के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग में भू–वापसी वाद संख्या–296/1974 दायर किया गया था, जिसमें आवेदन अस्वीकृत हो गया। पुनः आदिवासी के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–30/1993–94 दायर किया गया था, जिसमें आवेदन अस्वीकृत हो गया। पुनः न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–02/2001 सोरेन बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन दायर किया गया था, जिसमें आवेदन अस्वीकृत हो गया। उक्त वाद के विरूद्ध न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ में भू–वापसी अपील वाद संख्या–05/2002 सोरेन बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन दायर किया गया था, जिसमें आवेदन अस्वीकृत हो गया। पुनः न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–46/2015–16 दिनेश बेदिया बनाम् प्रवीण जैन वगै० दायर किया गया था, जिसमें आवेदन स्वीकृत हो गया। जिसके विरूद्ध में न्यायालय अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ में भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2016 प्रवीण जैन वो० अन्य बनाम् दिनेश बेदिया वगै० दायर किया गया था, जिसमें आवेदन अस्वीकृत हो गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग मे भू–वापसी निविजन वाद संख्या–59/2016 प्रविण जैन वगै० बनाम् दिनेश बेदिया वगै० दायर किया गया था, जिसमें अभिलेख को रिमांड करते हुए निर्देश दिया कि पुनः सुनवाई करते हुए Fresh आदेश पारित किया जाय। अपीलार्थी का कहना है कि मामला कालबाधित है साथ साथ Res-Judicata का मामला बनाता है। इसलिए अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2016 में दिनांक–25.07.2016 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–46/2015–16 मे दिनांक–02.04.2016 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किये है। विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–मरार के खाता नं०–36 के खतियान में शिवदयाल बेदिया वो० दुखन बेदिया पे०–गणेश बेदिया वो० खुटरा बेदिया कौम बेदिया के नाम दर्ज है। वे उक्त खतियान के वंशज है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त आदिवासी भूमि से बिना कागजात के जबरजस्ती बेदखल कर दिये है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46-4(A) का उल्लंघन है। अतः अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2016 में दिनांक–25.07.2016 एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–46/2015–16 में दिनांक–02.04.2016 को पारित आदेश को यथावत् रखने का अनुरोध किये है।

सरकारी अधिवक्ता ने बहस के दौरान कहा की प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की है। तथा अपीलार्थी के द्वारा जबरन कब्जा किये हुए है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश को यथावत् रखा जाय।

निम्न न्यायालय के अभिलेख में संलग्न अंचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन के अनुसार मौजा–मरार के खाता सं०–36 प्लॉट सं०–1009 रकवा–1.49 ए० भूमि खतियान में शिवदयाल बेदिया वो० दुखन बेदिया पेसरान गणेश बेदिया वो० खुट्रा बेदिया कौम बेदिया के नाम पर रैयती दर्ज है। मौजा–मरार के पंजी–II भॉल्युम–5 के पेज नं०–9 पर रकवा–1.53$^{2}/_{3}$ ए० की जमाबंदी विधा प्रकाश जैन वगै० के नाम से जमाबंदी कायम है। तथा लगान रसीद वर्ष–2014–15 तक निर्गत है एवं दुसरी जमाबंदी पंजी–II के भॉलुम–5 पृष्ठ संख्या–198 पर रवि प्रसाद जैन ग्राम–मरार रकवा–1.49 ए० भूमि की जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। पुनः अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक–492, दिनांक–16.03.2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जॉच के दौरान पाया गया कि मौजा–मरार खाता संख्या–36 सर्वे खतियान में शिवदयाल बेदिया वो दुखन बेदिया पेशरान गणेश बेदिया वो खुट्टा बेदिया कौम बेदिया के नाम पर रैयती दर्ज है। मौजा–मरार के पंजी–II भॉल्युम–5 के पेज नं०–9 पर रकवा–1.53$^{2}/_{3}$ ए० की जमाबंदी विद्याप्रकाश जैन वगैरह के नाम से जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है एवं दुसरी पंजी–II भॉल्युम–2 के पेज नं०–198 पर रविप्रसाद जैन, ग्राम–मरार रकवा–1.49 ए० की जमाबंदी कायम होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। स्थानीय जॉच एवं पुछ–ताछ के दौरान लोगों द्वारा बताया गया कि वर्त्तमान समय में रमेश जैन, पिता–स्व० निमीचंद जैन द्वारा चहारदिवारी दिया गया है जिस पर रमेश जैन एव प्रवीण जैन का दखल बताया गया है। द्वितीय पक्ष श्री रमेश जैन एवं प्रवीण जैन द्वारा केवाला संख्या–2650, दिनांक–10.02.1977 का छायाप्रति दिया गया, जिसमें अरूण कुमार पिता–उमेश नारायण सिंह, ग्राम–मरार के खाता सं०–36 प्लॉट सं०–1009 रकवा–1.49 ए० भूमि खरीदगी से प्राप्त है। साथ ही न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, रामगढ़ के वाद संख्या–30/1993–94 में पारित आदेश की प्रति प्रस्तुत किये है, जिसमें उल्लेखित है कि खाता सं०–36 प्लॉट सं०–1009 रकवा–1.49 ए० भूमि का हस्तांतरण आदिवासी रैयतो के हाथों से गैर आदिवासी रैयत के बीच हस्तांतरण के समय बारह वर्ष से अधिक समय पुरा हो चुका है इस आधार पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 46 (4A) लागु नहीं होता है। इस कारण खाता सं०–36 प्लॉट सं०–1009 रकवा–1.49 ए० भूमि प्रथम पक्ष (आदिवासी रैयत) को लौटाने संबंधी याचिका अस्वीकृत किया गया है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि जो रकवा–2.49 ए० की जमाबंदी अंकित है उसे निरस्त किया गया है एवं पंजी–II में 1.49 ए० तक रकवा सिमित रहेगा। पुनः भू–वापसी वाद संख्या–296/1974 में पारित आदेश की छायाप्रति गैरआदिवासी रैयत श्री जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस वाद में द्वितीय पक्ष गैरआदिवासी रैयत द्वारा न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ में भू–वापसी वाद संख्या–02/01 सोरेन बेदिया बनाम रवि प्रकाश जैन में पारित आदेश की छायाप्रति प्रस्तुत किये है, जिसमें उल्लेखित है कि द्वितीय पक्ष का यह कहना सही प्रतीत होता है कि बेदखली की अवधि 12 वर्ष से अधिक है। भूमि

हस्तांतरण गैरआदिवासी रैयतों के बीच होते रहा है, जो द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल केवाला के आधार पर पुष्टि होता है साथ ही यह प्रमाणित होता हैं कि अनुमण्डल स्तर से भू–वापसी का मामला चला जो प्रथम पक्ष (आदिवासी रैयत) के द्वारा दायर किया गया था, परन्तु आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है। इसी आदेश के आलोक में प्रथम पक्ष द्वारा अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में RAN 5/02 सोरेन बेदिया बनाम रवि प्रसाद जैन के बीच वाद दायर किया गया है। उक्त वाद में अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–02/01 में पारित आदेश को निम्न न्यायालय के पारित आदेश को यथावत् रखा गया। इस प्रकार अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने भू–वापसी वाद संख्या 11.05.06 में वाद दायर किया गया एवं बिना आदेश के संचिकास्त कर दिया गया है। पुनः भवदीय निदेश के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन द्वारा दिनांक–16.03.2023 को स्थीलीय एवं दस्तावेजा से जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसके अनुसार वाद की भूमि मौजा–मरार खाता सं०–36 प्लॉट सं०–1009 रकवा–1.49 ए० की जमांबदी पंजी–II के भॉल्युम–2 के पेज सं०–198 रवि प्रसाद जैन की जमाबंदी कायम है तथा लगान रसीद वर्ष 2014–15 तक निर्गत है। उक्त भूमि पर वर्त्तमान में जमाबंदी रैयत के वंशजो का दखल कब्जा है। स्थानीय पुछताछ में बताया गया कि प्रथम पक्ष (प्रवीण जैन वगै०) वर्ष 1977 में भूमि का क्रय किया है तथा उसी समय में वाद की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है। स्थानीय पुछताछ में प्रतीत होता है कि द्वितीय पक्ष (दिनेश बेदिया वगै०) का वर्ष 1977 के पूर्व से ही वाद की भूमि पर दखल कब्जा नहीं रहा है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं सरकारी अधिवक्ता अचल अधिकारी, रामगढ़ के प्रतिवेदन एवं विविध न्यायालयों द्वारा प्राप्त अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–मरार थाना सं०–144 थाना–रामगढ़ के खाता सं०–36, प्लॉट नं०–1009 रकवा–1.49 ए० भूमि खतियान में शिवदयाल बेदिया वो० दुखन बेदिया पेसरान गणेश बेदिया वो० खुदरा बेदिया कौम बेदिया कौम बेदिया दर्ज है। अपीलार्थी का कहना है कि भूमि 1954 के खतियानी रैयत के द्वारा पुरन रजवार को हुकुमनामा के द्वारा हस्तांतरण किया गया लेकिन यह स्पष्ट नहीं की गयी है कि हुकुमनामा निबंधित है अथवा नहीं जैसा की सादा हुकुमनामा न्यायालय में वैध नहीं माना जाता। इसलिए यह हस्तांतरण संदेहात्मक प्रतीत होता है। अपीलार्थी का यह कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा दिनांक–16.08.1973 को पुरन रजवार के द्वारा निबंधित केवाला से भूमि अरूण कुमार सिंह को हस्तांतरित की गई। फिर उनका कहना यह कहना है कि खतियानी रैयत के द्वारा न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–296/1974 सोहर बेदिया वगै० बनाम् अरूण प्रसाद दायर किया गया, जिसमें आवेदन कालबाधित के बिन्दु पर अस्वीकृत किया गया। पुनः न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वार संख्या–30/1993–94 धनेश्वर बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन दायर किया गया जिसे कालबाधित के बिन्दु पर अस्वीकृत किया

गया। उसी प्रकार न्यायालय अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के भू–वापसी वाद संख्या–02/2001 सोरेन बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन, न्यायालय अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग के भू–वापसी अपील वाद संख्या–05/2001 सोरेन बेदिया बनाम् रवि प्रसाद जैन सभी वादों में कालबाधित के बिन्दु पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है। एक तरफ अंचल अधिकारी, रामगढ़ के द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी को उक्त भूमि 1977 को प्राप्त है, दुसरी तरफ यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, हजारीबाग के न्यायालय मे भू–वापसी संख्या–296/1974 दायर किया गया। इससे संशय उत्पन्न होता है। आदेशों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी भी आदेश में जमाबंदी की वैधता पर आदेश पारित नहीं किया गया है। पुनः न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी वाद संख्या–46/2015–16 दिनेश बेदिया बनाम् प्रवीण जैन वगै० के वाद दायर किया गया जिस भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, रामगढ़ के भूमि में प्रथम हस्तांतरण को अवैध एवं संदेहात्मक मानते हुए भू–वापसी आवेदन स्वीकृत किया गया है। उक्त वाद के विरूद्ध अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2016 प्रवीण जैन वगै० अन्य बनाम् दिनेश बेदिया वगै० दायर किया गया। जिससे निम्न न्यायालय का आदेश यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया गया। जो नियमसंगत प्रतीत होता है। क्योंकि आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश पर हस्तांतरित हुआ है एवं अपीलार्थी के द्वारा यह स्पष्ट करने में असफल रहे की आदिवासी भूमि पुरन रजवार को निबंधित या अनिबंधित हुकुमनामा से प्राप्त हुआ। अर्थात प्रथम हस्तांतरण ही संदेहात्मक प्रतीत होता है। जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46-4(A) का उल्लंघन प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू–वापसी वाद संख्या–46/2015–16 दिनेश बेदिया बनाम् प्रवीण जैन वगै० में दिनांक–02.04.2016 एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ के भू–वापसी अपील वाद संख्या–02/2016 प्रवीण जैन वो० अन्य बनाम् दिनेश बेदिया वगै० मे दिनांक–25.07.2016 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46–4(A) के तहत् पारित आदेश को यथावत् रखते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ एवं अपर समाहर्त्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by MADHVI MISHRA
Date: 2023.07.04 12:43:23 +05:30
Location: 192.168.0.107

माधवी मिश्रा
13.6.23
उपायुक्त,
रामगढ़।

माधवी मिश्रा
13.6.23
उपायुक्त,
रामगढ़।